न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर।

पीठासीन अधिकारी, श्री बी.एल.मेहरड़ा, आर0ए0एस0
अपील संख्याः—229/2018 (2018/00229)225/पींसागन

1. लाला राम पुत्र स्व. श्रीमती चन्द्री पुत्री मूला पत्नि राजूराम
2. बुद्धाराम पुत्र स्व. श्रीमती चन्द्री पुत्री मूला पत्नी राजूराम
3. देवीलाल पुत्र स्व. श्रीमती चन्द्री पुत्री मूला पत्नी राजूराम
4. श्रीमती भीमला पुत्री स्व. श्रीमती चन्द्री पुत्री मूला पत्नी राजूराम
5. श्रीमती विद्या स्व. श्रीमती चन्द्री पुत्री मूला पत्नी राजूराम
6. ओमाराम पुत्र स्व.श्रीमती कमला व घीसूराम
7. कालूराम पुत्र स्व.श्रीमती कमला व घीसूराम

समस्त जाति माली निवासी ग्राम करनोस तहसील पींसागन जिला अजमेर व अन्य ।

अपीलांट

बनाम

1. बाबू लाल पुत्र स्व. मांगा पौत्र स्व. मूला
2. हेमा राम पुत्र पुत्र स्व. मांगा पौत्र स्व. मूला
3. पुखराज पुत्र स्व. मांगा पौत्र स्व. मूला
4. सांवरलाल पुत्र स्व. मांगा पौत्र स्व. मूला
5. गोपालराम पुत्र स्व. मांगा पौत्र स्व. मूला
6. भंवरा पुत्र स्व.धन्ना
7. कालू पुत्र स्व.धन्ना
8. नेनू पुत्र स्व.धन्ना समस्त जाति माली निवासी करनोस तहसील पीसांगन जिला अजमेर ।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार एवं ग्राम करनासे तहसील पीसांगन जिला अजमेर।
10. सरपंच ग्राम पंचायत करनोस तहसील पीसांगन जिला अजमेर।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम— 1955 विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन के आदेश दिनांक 13.06.2018, प्रकरण संख्या 22/2010.

उपस्थितः—

1. श्री एन.एस.राजावत एड़वोकेट अपीलांटस की ओर से।
2. श्री अजीत सिंह राठौड़ एड़वोकेट रेस्पोडेन्ट संख्या 01से 08 की ओर से।
3. श्री धर्मवीर चौधरी, राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 09 की ओर से।
4. रेस्पोडेन्ट संख्या 10 अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांकः— 25.04.2019

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन के आदेश दिनांक 13.06.2018, प्रकरण संख्या 22/2010 के विरूद्ध प्राप्त हुई है।
2. अपील संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट की मामा श्रीमती चन्द्री देवी पुत्री स्व.श्री मूला पत्नी राजूराम द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 एवं 92 ए राज.काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् मय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकरी अधिनियम 1955 के तहत् रेस्पोड़ेन्ट ने उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन के समक्ष इन कथनो के साथ प्रस्तुत किया कि ग्राम करनोस तहसील पीसांगन स्थित वर्किंग खसरा नम्बर 173, 202, 205, 238, 240, 241, 242, 102, 104, 113, 151, 226, 233, 237, 267 कुल किता 15 कुल रकबा 17—11—10 बीघा व खसरा नम्बर 196, 198, 200, 206, 222, 223, 227, 228, 229, 232, 208, 211, 214 कुल किता 13 कुल रकबा

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

30—04—10 व खसरा नम्बर 208, 211, 214 कुल किता 3 कुल रकबा 00—07—00, व खसरा नम्बर 113, 151, 212, 213, 216, 226 कुल किता 06 कुल रकबा 03—05—10 कृषि भूमियां के मूल खातेदार मूला पुत्र छोटू जाति माली रहे है। जिनके दो विधिक वारिस श्रीमती चन्द्री देवी व मांगा हुए जिनका 1/2—1/2 हिस्सा प्रथम श्रेणी के वारिस होकर उत्तराधिकार अधिनियम के तहत् निहित करते है परन्तु मांगा द्वारा राजस्व कर्मचारियों से सांठगाठ कर सम्पूर्ण भूमि जरिये विरासत अपने नाम दर्ज करवा ली गई, इस कारण श्रीमती चन्द्री देवी को 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा की अज्ञाप्ति पारित की जावे तथा ताफैसला मूल वाद विपक्षीगण को अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण की प्रार्थना पत्र 22/2010 पर अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा प्रसारित कर दी गई जिसके विचाराधीन रहते वादी/प्रार्थी श्रीमती चन्द्री देवी का स्वर्गवास हो जाने से आदेश दिनांक 20.08.2010 के तहत् वर्तमान अपीलांट को विधिक वारिसान की हैसियत से प्रकरण में पक्षकार संयोजित किया गया जिसके विचाराधीन रहते हुए, प्रकरण को राजस्व लोक अदालत शिविर एवं कोर्ट कैम्प ग्राम करनोस में दिनांक 13.06.2018 को नियत की गई, जिसके किसी प्रकार से कोई नोटिस अपीलांट को प्रेषित नहीं किये गये तथा रेस्पोडेन्ट की ओर से अभिभाषक द्वारा दिनांक 13.06.2018 को ही अभिभाषक पत्र पेश कर आदेश 22 नियम 10 ए जा.दी. के तहत् पक्षकार की मृत्यु की सूचना प्रस्तुत की गई जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन द्वारा अपीलांट को किसी प्रकार की सुनवाई व साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना तथा विधिक प्रावधानों एव विधिक प्रक्रिया के विपरीत जाकर दिनांक 13.06.2018 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम को निरस्त कर दिया गया। अपीलांटस ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन के आदेश दिनांक 13.06.2018 से असंतुष्ट होकर यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोडेन्टस को जरिये नोटिस तलब किया गया एवम अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलबी की गयी। रेस्पोडेन्ट संख्या 01से 9 की ओर से अभिभाषक उपस्थित हुए। रेस्पोडेन्ट संख्या 11 बावजूद सूचना के भी उपस्थित नहीं। तत्पश्चात अपील में अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

4. अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट के अधिवक्ता द्वारा दिनांक 13.06.2018 को ही राजस्व कैम्प ग्राम करनोस के समक्ष अभिभाषक पत्र प्रस्तुत करते हुए मांगा व श्रीमती कमला की मृत्यु की सूचना प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 10 ए जा.दी. के तहत् प्रस्तुत की गई, जिसकी कोई प्रति अपीलांट एवं उनके कोई अधिवक्तों को प्रेषित नहीं की गई इस प्रकार दिनांक 13.06.2018 से भी मृत्यु की सूचना के अनुसार परिसीमा अधिनियम के तहत् विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लिये जाने हेतु कार्यवाही किये जाने की समयावधि 90 दिवस है इसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन द्वारा विधिक प्रावधानों एवं विधिक प्रक्रिया की पालना किये बिना आदेश दिनांक 13.06.2018 पारित किये जाने में विधिक त्रुटि कारित की है। अपीलांट की माता श्रीमती चन्द्री देवी पुत्री मूला की जाईन्दा पुत्री होकर प्रथम श्रेणी की वारिस होने से भारतीय हिन्दू अधिनियम 1956 के तहत् पिता की संपति में जन्म से ही विवादित भूमियों में 1/2 हिस्सा निहित करता है परन्तु प्रतिवादी मांगा द्वारा राजस्व कर्मचारियों से सांठ गाठ कर तथ्यों को छुपाते हुए सम्पूर्ण कृषि भूमियों का विरासत नामान्तकरण अपने नाम दर्ज करवा लिया गया है जिसके आधार पर भूमियों को अन्यत्र रहन, बय व मुन्तकिल किये जाने पर आमादा है। इस प्रकार अपीलांट के पक्ष में प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन व अपूरणीय क्षति विद्यमान होने से अंतरिम अस्थायी निषेधाा प्रसारित की गई जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रथम

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का सन्तुलन अपीलांट के पक्ष में एक पक्षीय रूप से नहीं होना मानते हुए अस्वीकार किया गया हैं जो विधि सम्मत नहीं है। न्यायालय हाजा से अनुरोध है कि अपील अपीलांटस स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन के आदेश दिनांक 13.06.2018 को निरस्त किया जावें तथा रेस्पोडेन्टस को ताफैसला मूलवाद जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावें।

5. अभिभाषक रेस्पोडेन्टस ने दौरान बहस निवेदन किया कि विवादित आराजी के रेस्पोडेन्टस के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है एवं रिकार्डेड खातेदार काश्तकार को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जा सकता है। प्रार्थीगण/अपीलांटस की ओर से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का जो पेश किया है उसमें जिसमें प्रार्थीगण/अपीलांट को कैम्प कोर्ट बाबत् नोटिस जारी करने के बावजूद भी उपस्थित नहीं हुएं। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 1 का स्वर्गवास दिनांक 02.11.2013 को गया था तथा प्रार्थी संख्या 04 कमला का स्वर्गवास करीबन 4 वर्ष पूर्व ही हो चुका था किन्तु उनके द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 एवं प्रार्थी संख्या 04 की कार्यवाही कायममुकाम नहीं की गई थी। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थीगण अभिभाषक ने अप्रार्थी संख्या 01 व प्रार्थी संख्या 04 के विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लिये जाने की कार्यवाही नहीं की थी एवं अप्रार्थीगण/रेस्पोडेन्टस विवादित आराजी के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार होने के कारण प्रार्थना पत्र को विधि सम्मत खारिज किया है। विवादित आराजी पर रेस्पोडेन्टस का कब्जा काश्त हैं एवं रेस्पोडेन्टस ही विवादित आराजी के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार हैं इसलिए अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनो बिन्दू अपीलांटस के पक्ष में साबित नही है। अतः न्यायालय हाजा से अनुरोध है कि अपील अपीलांटस खारिज की जावे।

6. हमने उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो तारीख पेशी दी गई है जिसमें सीले लगाई गई जिससे पक्षकारान को तारीख पेशी के सम्बन्ध में पूर्ण ज्ञान होना स्पष्ट प्रतीत नहीं होता है। अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि दौराने विचाराधीन प्रार्थना पत्र प्रार्थी संख्या 04 को स्वर्गवास होना जाहिर हुआ किन्तु उनके कायम मुकाम की कार्यवाही किये बिना ही एवं बिना अप्रार्थीगण को जवाब लिए दौराने कैम्प में गुणावगुण पर प्रकरण को निर्णित किया गया है जो कि स्पीकिंग आदेश की परिभाषा में नहीं आता हैं। जिसे विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 का आदेश खारिज योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

7. अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन का आदेश दिनांक 13.06.2018 को निरस्त किया जाता हैं तथा प्रकरण अधी0न्याया0 को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाइ का समुचित अवसर प्रदान करते अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनो महत्वपूर्ण बिन्दू क्रमशः प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति पर विस्तृत निर्णय पारित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

25/4/19

(बी.एल.मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. आदेश आज दिनाक 25.4.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

25/4/19

(बी.एल.मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर